संख्या-59/मा0सं0वि0/2000

प्रेषक,

श्री दिबाग सिंह
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन,
देहरादून ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली ।

मानव संसाधन विकास विभाग दिनांक, 22 दिसम्बर, 2000

विषय:- दि दून ग्लोबल स्कूल चकराता रोड, देहरादून को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का विदेश हुआ है कि दि दून ग्लोबल स्कूल, देहरादून को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

§1§ विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

§2§ विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

§3§ विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तरांचल शासन, देहरादून द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

§4§ संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यहद पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होने की तिथि से उत्तरांचल शासन, देहरादून द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वत: समाप्त हो जायेंगे ।

§5§ संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

59 /

§6§ कर्मचारि...ों क... र्ते बनाई जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उ०मा० विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

§7§ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

§8§ विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

§9§ उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबंध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि:-

§1§ कक्षों, शिक्षकों, भू तथा भवन की स्थिति स्पष्ट करा ली जाय।

3- "उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रही हैं अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

§ डा० दिलबाग सिंह §
अपर सचिव

पृ० सं० 59 §1§/15-7-2000 ,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- शिक्षा निदेशक,
2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
3- जिला विद्यालय निरीक्षक,
4- आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0लखनऊ ।
5- प्रबन्धक ।
6- सचिव, कौंसिल फार §दि इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन प्रगति हाउस तृतीय तल-47-48 नेहरू प्लेस तृतीय तल, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा अनुभाग-7 के पत्र सं० सी०एम०30/15-7-16§89/1999 दिनांक 6 अप्रैल 1999 के द्वारा प्रदत्त सम्बद्धता हेतु अनापत्ति को निरस्त किया जाय।

आज्ञा से,

§ डा० दिलबाग सिंह §
अपर सचिव